पत्रांक–5/पी०–(नई यो०)–06/2022 80(5)यो० /स्वा०

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक: 29.03.2026

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 में गढ़वा जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंडरिया के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृतिं के इत्तर हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 1,81,71,296/– (एक करोड़ एकासी लाख एकहत्तर हजार दो सौ छियानबे) रूपये मात्र को राज्य योजना मद से दिए जाने हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–29(5)ब योजना दिनांक–27.05.2022 एवं शुद्धि पत्र संख्या–116(5)ब योजना दिनांक–10.08.2023 के क्रम में गढ़वा जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंडरिया के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के इत्तर हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 1,81,71,296/–(एक करोड़ एकासी लाख एकहत्तर हजार दो सौ छियानबे) रूपये मात्र को राज्य योजना मद से दिए जाने हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–29(5)ब योजना दिनांक–27.05.2022 एवं शुद्धि पत्र संख्या– 116(5)ब योजना दिनांक–10.08.2023 द्वारा गढ़वा जिलान्तर्गत भंडरिया में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य योजना मद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल राशि 11,00,00,000/–(ग्यारह करोड़) रूपये की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–2250 (नि०) दिनांक–01.09.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निर्माण कार्य, कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृत नक्शों के अनुरूप कराया गया है। इस हेतु कई एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि/कमी की आवश्यकता पड़ी है। साथ ही, कुछ नये कार्य मदों का कार्यान्वयन भी आवश्यकतानुसार कराया गया है। वास्तविक कार्यस्थल की आवश्यकता अनुसार स्वीकृत नक्शों के अनुरूप विभिन्न कार्यमदों में वृद्धि/कमी इत्यादि के आलोक में विचलन प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

4. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची मुख्यालय में इस कार्य हेतु गठित तकनीकी समिति द्वारा दिनांक–21.08.2025 को सम्पन्न बैठक में तैयार विचलन प्रतिवेदन के जाँचोपरान्त इस पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. कार्य के एकरारनामा की राशि, एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि/कमी के कारण लागत राशि में वृद्धि तथा निगम का संचालन अनुदान की राशि को जोड़ने पर कार्य की कुल लागत राशि 12,81,71,296/रू० होता है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 16.52 % अधिक है। योजना का निर्माण कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण है।

6. योजना की लागत राशि में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:–

क्र०सं०	विवरणी	राशि (रूपये में)
1	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	11,00,00,000.00
2	एकरारनामा की राशि	10,30,38,853.00
3	विचलन की राशि	1,90,30,017.14
4	निगम का संचालन अनुदान की राशि	61,02,426.26
5	**योजना की कुल लागत राशि (2+3+4)**	**12,81,71,296.00**
8	**प्रशासनिक स्वीकृति से वृद्धि की राशि**	**1,81,71,296.00**
9	**प्रशासनिक स्वीकृति से वृद्धि का प्रतिशत**	**16.52%**

7. विभागीय शुद्धि पत्र संख्या–116(5)ब योजना दिनांक–10.08.2023 के अनुसार योजना हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची के मद से कुल 9,33,00,000/–रूपये एवं राज्य योजना मद से 1,67,00,000/–रूपये का वहन किया जाना है। ऐसे में योजना की लागत राशि में वृद्धि के फलस्वरूप योजना की कुल लागत राशि 12,81,71,296/–रूपये के विरूद्ध एन०एच०एम० मद से देय राशि 9,33,00,000/–रूपये के पश्चात अवशेष राशि 3,48,71,296/–रूपये का वहन राज्य योजना मद से किया जाना है।

8. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–2537 (नि०) दिनांक–17.10.2023 द्वारा योजना से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार योजना हेतु एन०एच०एम० मद से 8,63,38,853/–रूपये एवं राज्य योजना मद से 97,38,853/–रूपये कुल 9,60,77,706/–रूपये आवंटित है। राज्य योजना मद से दायित्व राशि 2,51,32,443/–रूपये का आवंटन अलग से निर्गत किया जाएगा।

9. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के अधिसूचना सं०–1269 दिनांक–21.09.2023 की कंडिका–4 के आलोक में उपरोक्त मामले में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः मूल प्रशासनिक स्वीकृति से कुल 1,81,71,296/–(एक करोड़ एकासी लाख एकहत्तर हजार दो सौ छियानबे) रूपये की वृद्धि के कारण व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

10. व्यय का विकलन राज्य योजनान्तर्गत बजट शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–001–निदेशन और प्रशासन– 64–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान–06–अनुदान–79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड 20एस 2210–01–001– 64–00–06–79) के अधीन उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

80(5) चि० 29.03.2026

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

11. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो राशि का पुस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता–मुख्यशीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–120–अन्य निधियाँ में करेंगे।

12. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

13. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्त्व होगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

15. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा।

16. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–29(5)ब योजना दिनांक–27.05.2022 एवं शुद्धि पत्र संख्या– 116(5)ब योजना दिनांक–10.08.2023 की सभी शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

17. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–5/पी०–(नई यो०)–06/2022 80(5)पो० राँची, दिनांकः 29.03.2026

प्रतिलिपिः

1. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
3. उपायुक्त, राँची/गढ़वा।
4. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
5. सिविल सर्जन, राँची/गढ़वा।
6. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
7. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)	(ललित मोहन शुक्ला) 27/3/2026	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव	संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

80(5)पो०
29.03.2026